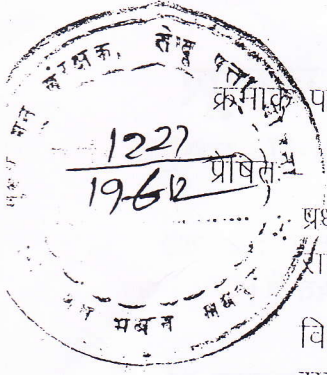


राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक:- 21.05.2012



क्रमांक 406(4)वन/90

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एवओ.एफ.एफ.),
राजस्थान जयपुर

विषय:- सालर एवं अन्य सभी प्रकार की गोंद विदोहन पर प्रतिबन्ध बावत्।

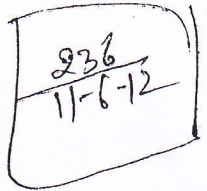
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ.4(1)76/वउ/प्रमुखसं/पार्ट-ii/66 दिनांक 27.2.2012 एवं 77 दिनांक 23.3.2012 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.7.2007

APCF (Good)

21/5/12 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि सालर एवं अन्य सभी प्रकार के गोंद विदोहन एवं संग्रहण पर राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

यह स्वीकृति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आई.डी. संख्या 1035 दिनांक 29.3.2012 एवं वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. संख्या 171200491 दिनांक 18.05.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।



वन इपडा

क 18/6 18/6

भवदीय

(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्ता, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व डिजीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर।

शासन सचिव

Ref (1)
11-6-12

13/7/12

I.A.
Kindly process
& upload

20/6/12